



2026:AHC:31659

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2892/2026

रामदयाल एवं अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : दीपांकर चौधरी, शिवम सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचीगण ने अन्य बातों के साथ-साथ उप जिलाधिकारी (न्यायिक), तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 09.06.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
2. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त आदेश याचीगण के विरुद्ध एकपक्षीय ढंग से और उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट याचिका दो आधारों पर खारिज किए जाने योग्य है, अर्थात् (i) याचीगण के पास उसी प्राधिकारी के समक्ष पुनर्विचार आवेदन दाखिल करने का उपचार उपलब्ध है, या (ii) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प उपलब्ध है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के इस पहलू को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका उपरोक्त आधारों पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"